

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर तारानगर व अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प

कोर्ट ज. नि. अ. अ. ल.

हे. स. राम बनाम हरि सिंह 95726

किरम मुकदमा - 5387 नं. 26 सन् 2010

Case 2018/00024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
15/10	<p>आज यह वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट <u>ज. नि. अ. अ. ल.</u> में <u>हे. स. राम</u> पुत्र <u>रामचन्द्र</u> जाति <u>जाट</u> निवासी <u>राहुमर</u> तहसील <u>लखनपुर</u> ने पेश किया। अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्ट्रर हो।</p> <p>पक्षकारों ने उपस्थित होकर <u>50</u> रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर व नक्शा ट्रेस पर वाहमी राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारों को समझाया गया। सभी पक्षों ने राजीनामा पढ व समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा प्रमाणित कर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारों की पहचान <u>श्री. जो. न. ल. ल.</u> सरपंच ग्राम पंचायत <u>ज. नि. अ. अ. ल.</u> सदस्य लोक अदालत सलाहकार समिति <u>न. ज. ल. ल.</u> ने की। पक्षकारों का खाता विभाजन का वाद लोक अदालत बैंच <u>ज. नि. अ. अ. ल.</u> द्वारा स्वीकार किया जाता है। नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारों के हक हिस्सा में रहेगी। तहसीलदार तारानगर को नक्शा ट्रेस की प्रति भिजवाई जाकर राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो।</p> <p>पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब, तकमील होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)